न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका, आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 128/17 (223आर.टी.एक्ट.) तारीख रज्जू 17.08.2017

आरसीएमएस संख्या :— 2017/00242

उनवान

1. बहादुर सिंह
2. हरदेव सिंह

पुत्रगण अमरसिंह जाति फौजदार
निवासी ग्राम हथैनी तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांटस।

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब नदबई।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट. विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दिनांक 09.06.2017 प्रकरण संख्या 258/2010 उनवानी बहादुर सिंह आदि बनाम राज0 सरकार।

उपस्थित :—

1. अपीलांट की ओर से वकील श्री महाराज सिंह डागुर ।

निर्णय दिनांक 14.07.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर कैम्प कोर्ट जघीना के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2017 के विरूद्व पेश की गई है। जो इस प्रकार है कि सुयोग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री गलत है विधि एवं तथ्य विरूद्ध है इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटस का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से कथन रहा है कि उनकी खातेदारी के खसरा न0 5482/0.16 में 6 ऐयर 5488/0.39 में 5 ऐयर व 5489/0.34 में गत के विपरीत कम रकवा भू–प्रबंध विभाग ने दर्ज कर दिया है इसलिए गत के अनुसार उपरोक्त कम रकवे के नये नम्बर 5482/1/0.6 खसरा न. 5488/1/0.5 व 5489/1/0.03 बनाये जाकर गत अनुसार अपीलाटस/वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इस समय की रिपोर्ट भी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 09.06.2016 को दी गयी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस/वादीगण का दावा स्वीकार नहीं कर खण्डनाधीन निर्णय डिक्री से खारिज करने में भारी त्रुटि की है। रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 पटवारी हल्का में वर्तमान खसरा नम्बर 5497/0.43 में 0.04 हे0, खसरा नम्बर 5495/0.26 से 0.02 हे0 भूमि वेशी बतायी गयी है जिससे खसरा नम्बर 5482/0.16 में 0.03 हे0 5488/0.39 में 0.02 हे0 एवं खसरा नम्बर 5489/0.34 में 0.01 हेक्टेयर रकवा वेशी करते हुए रकवा की कमी पूर्ति किया जाना उचित है मौके पर खसरा नम्बरान का रकवा सही है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त रिपोर्ट पटवार को भी नजरअन्दाज करते हुए खण्डनाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी त्रुटि की है। रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 पटवारी हल्का में वर्तमान खसरा नम्बर 5497/0.43 में 0.04 हे0 खसरा नम्बर 5495/0.26 से 0.02 हे0 भूमि वेशी बतायी गयी है जिससे खसरा नम्बर 5482/0.16 में 0.03 हे0, 5488/0.39 मे0.02 हे0 एंव खसरा नम्बर 5489/0.34 में 0.01 हे0 रकवा वेशी करते हुए रकवा की कमी पूर्ति किया जाना उचित है के खातेदार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है कतई गलत है उन्हें पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिपोर्ट पटवारी के अनुसार कोई तरमीम नहीं होनी है केवल इन नम्बरान में बढे रकवे को कम करके अपीलांटस/वादीगण के वर्तमान खसरा नम्बरान के रकवे की पूर्ति करनी है, इस प्रकार निर्णय व डिक्री गलत है निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना है कि उक्त खसरा नम्बर (वेशी व कमी) 5482, 5488, 5489 वादीगण कथित खसरा नम्बर 5497 व 5495 से काफी दूर स्थित है भी गलत है रिपोर्ट पटवारी से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री कतई गलत है और निरस्त किये जाने योग्य हैं। वसूरत दीगर न्यायालय तहत को अभी कोई प्रभावित पक्षकार लगता था तो उसे पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया जा सकता था और उसको

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तलब कर सुनवायी कर अपीलाटंस के खातेदार के रकवे की पूर्ति की जा सकंती थी। कोई भी दावा नॉन जोइण्डर एण्ड नैसेसरी पार्टी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी कतई गलत है निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जावे और तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2017 को निरस्त किया जावे तथा वादीगण का दावा स्वीकार किया जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेट को जरिये सम्मन तलव किया। रेस्पो0 पर्याप्त सूचना के बावजूद भी हाजिर अदालत नही आये ।

3. हममे विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना। विद्वान अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड की ओर ध्यान आकर्षित कर दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय मे हमारा दावा खारिज किया गया है। बदोबस्त विभाग ने हाल खसरा नंबरान 5482/0.16 हे0 5488/0.39 हे0, 5489/0.34 हे0 जो क्रमश: गत खसरा नंबरान 3439/1-04, (3444/1-09 +3445/1-07), 3446/0-16+3447/1-09 से कायम किये तथा उक्त हाल खसरा नंबरान में 'क्रमश: 6 एयर 5 एयर व 2 एयर रकवा कम दर्ज किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनाक 09.06.2017 का भी वर्णन किया हमारे अनुसार हमारा (5+5+2) = 12 एयर रकबा कम है। खसरा नंबरान 5497/0-04, 5495/0-02 मे हमारा रकबा बढ़ा हुआ है। मौके पर हमारा रकवा पूरा है केवल राजस्व रिकार्ड में ही दुरूस्त होना है। ये नंबर सटे हुए नंबर है। आस पास के नम्बर मौके पर सही है। इस प्रकार तरमीम होना है और ऐसे मे उनको पक्षकार बनाना उचित नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने विद्वान वकील अपीलांटस– वादीगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया। पटवारी जघीना एवं तहसीलदार भरतपुर की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वे दो अन्य हाल खसरा नम्बरान 5497/0.43 है0 एवं 5495/0.26 हे0 से रकबा पूर्ति की बात कह रहे है लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह नही बताया कि ये दोनों नंबर किस काश्तकार के है और

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उसको दावे में पक्षकार बनाने की बात भी नही कर रहे है तथा इस प्रकार किसी भी काश्तकार को बिना पक्षकार बनाये और सुने उसके खेतो को छेड़ा जाना न्यायोचित नहीं है। इसके साथ ही ये दोनों नंबर विवादित खसरा नंबरान से दूर स्थित है और आपस में सटे हुए नहीं पाये जाते है । वादीगण अपीलांटस ने अपने दावे में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है कि किंन नंबरों से उनका रकबा पूर्ति की जानी है और उनके खातेदारों को पक्षकार भी वादपत्र में नहीं बनाया है। ऐसे में दावा ही अपने आप में अस्पष्ट पेश होना पाया जाता है। मौका रिपोर्ट के मध्येनज़र दावे के अभिवचन ही भिन्न हो जाते है। इस प्रकार तहत न्यायालय ने वादीगण अपीलांटस का दावा सही खारिज किया जाना साबित है । विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्को से हम कतई भी सहमत नहीं है। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांटस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही पायी जाती है।

5- फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है तथा तहत न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14-07-2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(परशुराम धानका)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर